an>

Title: Need for relaxation in rules of Indira Awas Yojana.

श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद) : महोदया, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान गरीब जनता के एक आवश्यक विÂषय की ओर ले जाना चाहता हूँ। देश के अन्दर इन्दिरा आवास योजना गरीबों के आवास निर्माण के लिए चल रही है, लेकिन उसके प्रावधान में एक कमी है और नए प्रावधान को जोड़ने के लिए मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधान मंत्री जी का ध्यान इसलिए आकृÂट कराना चाहता हूँ, क्योंकि उनकी चिन्ता हमेशा गरीबों के लिए होती है। इसके तहत प्रावधान यह है कि यदि किसी व्यक्ति का घर आग लगी में जल जाए या किसी आपदा से उसका घर नÂट हो जाए तो इन्दिरा आवास योजना के तहत उनको आवास के लिए राशि दे दी जाएगी। लेकिन उसकी निर्धनता का जो स्कोर है, चाहे वह पाँच हो अधिक निर्धन व्यक्ति का या कम निर्धन का तेरह हो, स्कोर को जम्प कराकर तुरन्त इन्दिरा आवास के तहत राशि देने का प्रावधान वर्तमान में है। लेकिन चाहे घर जलकर राख हो जाए, चाहे आपदा से ध्वस्त हो जाए, वैसे व्यक्तियों को इसका लाभ नहीं मिलता इन्दिरा आवास योजना के तहत, जिनका नाम बीपीएल की सूची में न हो। हमारे बिहार प्रदेश में तो बी.पी.एल. की सूची के निर्माण में इतनी अनियमितता है कि कोठी वालों का नाम बी.पी.एल. में है और झोंपड़ी वालों का नाम ए.पी.एल. में या उससे भी बाहर है। यह एक अलग विÂषय है। यह पूरे देश में है, इसलिए इसका फिर से सर्वे कराकर उस सूची का निर्माण कराया जाये, जो वास्तविकता के आधार पर हो और वास्तविक गरीबों को इसका लाभ मिले।

मैं यह कहना चाहता था कि जिन व्यक्तियों का घर आगलगी या किसी आपदा में नÂट हो जाता है, जल जाता है, वैसे व्यक्तियों को इन्दिरा आवास योजना के तहत राशि मिलनी चाहिए, ताकि वे अपने घरों का निर्माण कर सकें और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत और साथ-साथ इन्दिरा आवास योजना के तहत, दोनों योजनाओं के तहत मैं भारत सरकार से यह मांग करता हूं कि इसका प्रावधान किया जाना चाहिए।...(व्यवधान) महोदया, एक मिनट में मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। गांव में अगर ऐसी घटना होती है और मैं जिस इलाके से आता हूं, दक्षिण बिहार के पठारी इलाके औरंगाबाद और गया, वहां तो आये दिन आगलगी की घटनाएं होती हैं। जब हम लोग वहां सहानुभूतिवश जाते हैं तो लोग सांसद से घर के निर्माण के लिए सहायता की मांग करते हैं। वहां सांसद हैल्पलैस हो जाता है, इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष : आपकी बात हो गई न, बार-बार एक ही बात कह रहे हैं।

श्री वीरेन्द्र कश्यप, श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री अश्विनी कुमार चौबे, श्री पी.पी. चौधरी, श्री देवजी एम. पटेल, श्री नाना पटोले, कुंवर पुÂष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री पी.पी. जोशी, श्री जगदम्बिका पाल, श्री रामचरण बोहरा, श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, डॉ. मनोज राजोरिया, श्री ए.टी.नाना पाटील, श्री शिवकुमार उदासि और श्री विनोद कुमार सोनकर, श्री सुशील कुमार सिंह द्वारा उठाये गये विष्Âाय के साथ सम्बद्ध होने की अनुमति प्रदान की जाती है।